

25.09.20

पत्रावली चेक्षा। वकील वादी एवं वादीगण अनुपस्थित।
रुक-रुक कर तीन बार आवान लगावार्थ
गर्ह। बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं।
इसके ज्ञात होता है कि वादी एवं
वकील वादी अपने दावे को लेकर गंभीर
नहीं है अतः दावा अदम हामिदी अदम
चेरकी में इधी स्तर पर खारिज किया
जाता है पत्रावली केवल कुभार होकर
नंबर से कम की जाकर दाखिल धार
है। ~~अतः~~

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

